न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 254/2015

1 महावीर उम्र 79 वर्ष पुत्र नाथूराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम गोकलपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मूर्ति मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथ जी वाके ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर शाश्वत नाबालिग जरिये वादमित्र मूर्ति मंदिर भूमि काश्तकार नानूराम उम्र 66 वर्ष पुत्र गोपीराम जाति माली निवासी देवीपुरा हाल निवासी मंदिर भूमि खसरा नम्बर 43/2 ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।
2 भंवरलाल आयु 52 वर्ष पुत्र मांगीलाल अहीर जाति अहीर निवासी कुण्डल की ढ़ाणी हाल आबाद सांवली रोड़ बजाज ग्राम सांवली तहसील व जिला सीकर।
3 भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट विरूद्व डिक्री एवं निर्णय दिनांक 08.08.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी श्री जे.पी. त्यागी आर.ए.एस. दावा संख्या 172/2008 बउनवानी मूर्ति मंदिर बनाम भंवरलाल आदि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री हरफुल सिंह खीचड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ताराचन्द यादव, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 27.08.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 172/2008 में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के विरूद्व भूमि खसरा नम्बर 44 से 57,43/2 वाके ग्राम गोकुलपुरा बाबत वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने इस भूमि के साथ अपीलांट के हिस्सेदारी की भूमि खसरा नम्बर 238,239 को समिलित कर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट की और से यह अपील धारा 96 एव 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र से हटकर चुनौतीग्रस्त डिकी एवं निर्णय पारित कर दिया जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 की खातेदारी की कृषि भूमियों के सम्बंध में ही था अन्य खसरा नम्बरानकी भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा वादपत्र ही प्रस्तुत नही किया गया था इसलिए यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि विवाद विषय से हटकर नातो निर्णय एवं डिकी पारित की जा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सकती है ना ही ऐसी डिक्री एवं निर्णय पारित करने का विचारण न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार होता है। इसलिए अपीलांट की भूमि के सम्बंध में पारित डिक्री एवं निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण भी अपीलांट के हिस्सेदारी की भूमि के सम्बंध में चुनौतीग्रस्त डिक्री एवं निर्णय को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 238 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 239 रकबा 2.23 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.43 हैक्टेयर पुराना खसरा नम्बर 52/469 से रेस्पोडेंट संख्या 1 कर कभी भी कोई सम्बंध अथवा सरोकार नही रहा है बल्कि वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलांट के पूर्वजो के खुद कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि रही है जिसमें से 1/3 हिस्सा अपीलांट को अपने पिता नाथूराम से उतराधिकार में प्राप्त हुआ था उक्त 1/3 हिस्सा की भूमि पर अपीलांट निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से काबिज है परन्तु विचारण न्यायालय ने आरबीट्रेरी निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जिसे खसरा नम्बर 238,239 के पुराना खसरा नम्बर 52/469 की हद तक अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट पक्षकार नही था परन्तु अपीलांट की भूमि को डिक्री में सम्मिलित करने से अपीलांट प्रभावित व्यक्ति है परन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट पक्षकार नही होने के कारण, अपील प्रस्तुत करने के लिए विचारण न्यायालय से इजाजत लिया जाना आवश्यक है इसलिए अपील प्रस्तुत करने की न्याय हित में इजाजत दिया जाना प्रार्थनीय है। जिसके लिए धारा 96 सीपीसी का आवेदन अपील के साथ सादर प्रस्तुत है। अपीलांट को चुनौतीग्रस्त डिक्री एंव निर्णय की जानकारी पूर्व में नही थी अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी उस समय हुई जब अपीलांट अपने हिस्से की भूमि पर ऋण प्राप्त करने के लिए हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल लेने के लिए दिनांक 04.12.2015 को गया व नकल जमाबंदी प्राप्त की तब हल्का पटवारी ने अपीलांट को बताया कि खसरा नम्बर 238 व 239 के पुराना खसरा नम्बर 52/469 की भूमि के सम्बंध में भी वादपत्र डिक्री किया गया है तथा यह भूमि मन्दिर के नाम दर्ज होनी है उक्त डिक्री पर कई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खातेदारो ने अपील करके स्टे ले रखा है वर्ना यह भूमि मन्दिर के नाम पूर्व में ही दर्ज हो जाती। इस पर अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता जानकारी करके नकल हेतु दिनांक 04.12.2015 को ही आवेदन प्रस्तुत किया व नकल दिनांक 07.12.2015 को प्राप्त हुई उसके पश्चात अपीलांट अचानक ही बीमार हो गया जिस कारण अपील नकल प्राप्त होते ही प्रस्तुत नही कर सका व अब अपीलांट चलने फिरने के लायक हुआ है इसलिए चुनौतीग्रस्त डिक्री एवं निर्णय की दिनांक 08.08.2011 से लेकर अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 22.12.2015 तक की अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाने पर अपील अन्दर मियाद कानूनी मियाद है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन एवं विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है एवं अपील प्रस्तुत में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा मूर्ति मन्दिर के हितो की रक्षार्थ विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलांट का कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की भूमियों के सन्दर्भ में कोई अनुतोष चाहे बिना ही, अपीलांट को सुने बिना विचाराधीन निर्णय में अपीलांट की भूमियों को शामिल कर लिया है। इससे अपीलांट के हक हकूक प्रभावित हो रहे है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 238 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 239 रकबा 2.23 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.43 हैक्टेयर पुराना खसरा नम्बर 52/469 से रेस्पोडेंट संख्या 1 कर कभी भी कोई सम्बंध अथवा सरोकार नही रहा है बल्कि वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलांट के पूर्वजो के खुद कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि रही है जिसमें से 1/3 हिस्सा अपीलांट को अपने पिता नाथूराम से उतराधिकार में प्राप्त हुआ था। परन्तु विचारण न्यायालय ने बिना किसी विधिक आधार एवं विवेचन के विचाराधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी है अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय/ खसरा नम्बर 238,239 के पुराना खसरा नम्बर 52/469 की हद तक अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर